न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 52 / 2022

1 राजेन्द्र सिंह उम्र व्यस्क पुत्र श्री बुजाराम जाति जाट निवासी मैनाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
2 ओमप्रकाश उम्र व्यस्क पुत्र श्री बुजाराम जाति जाट निवासी मैनाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 होशियार सिंह उम्र व्यस्क पुत्र श्री नेतराम जाति जाट निवासी मैनाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
2 दयानन्द उम्र व्यस्क पुत्र श्री नेतराम जाति जाट निवासी मैनाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
3 तहसीलदार बुहाना तहसील कार्यालय बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय उनवानी प्रकरण होशियार सिंह वगै. बनाम राजेन्द्र वगै. मु.नं. 144 / 2020 तारीख फेसला 25.03.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनूं

उपस्थिति :

1. श्री राजेश कुमार सुण्डा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 13/2/25

यह अपील .विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 144/2020 में पारित निर्णय दिनांक 25.03.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने विचारण न्यायालय के समक्ष अ. धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि भूमि खसरा नम्बर 575/573 व 574/573 में आने जाने के लिए 4 मीटर चौड़ा रास्ता भूमि खसरा नम्बर 563/33 व 564/33 की सीमा के सहारे–सहारे आम रास्ता खसरा नम्बर 65 में से दिलवाया जावें। उक्त प्रकार से आवेदन पत्र पेश होने पर अपीलान्टस को नोटिस मिलने पर अपीलान्टस ने विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब पेश किया व अपने जवाब आवेदन पत्र में आवेदकगण के वैकल्पिक रास्ता/प्रचलित रास्ता खेत में से स्थित होना बताकर जवाब पेश किया परन्तु विचारण न्यायालय ने जवाब दावा मे वर्णित अभिवचनों पर गौर नहीं किया व विवादित आदेश/निर्णय पारित कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अपीलान्ट की अनुपस्थिति में बनी है जिसमें वैकल्पिक रास्ता व राजकीय जोहड़ खसरा नम्बर 25 से जाने वाले प्रचलित रास्ता को नहीं दिखाया गया है। मौका रिपोर्ट में नोटिस जो अपीलान्टस के नाम से जारी किये गये है उस पर रामसिंह व सुरेश कुमार के हस्ताक्षर है जिससे जाहिर है कि केवल औपचारिकता की गई है तथा मौका रिपोर्ट में अपीलान्टस द्वारा हस्ताक्षर करने से मना करने का नोट लगा है जबकि अपीलान्टस को किसी प्रकार का नोटिस बाबत मौका रिपोर्ट दिया ही नही तो उनके द्वारा हस्ताक्षर करने से मना करने का सवाल ही नहीं है। इस प्रकार से मौका रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के प्रभाव में आकर अपीलान्ट को बिना सुने ही बनाई गई है। मौका रिपोर्ट पटवारी द्वारा बनाई गई है व तहसीलदार व भू–अभिलेख

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनुं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

निरीक्षक के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है। मौका रिपोर्ट बाबत कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) बुहाना द्वारा मौका रिपोर्ट बाबत दिनांक 20.12.2022 को नोटिस जारी किये गये है। उक्त नोटिस का हवाला मौका रिपोर्ट में दिया है कि पक्षकारान की तामील विधिनुसार करवाई गई। उक्त नोटिस पर किसी रामसिंह व सुरेश कुमार के हस्ताक्षर है तथा उनका कोई नाम पता दर्ज नहीं है इस प्रकार से प्रार्थीगण/अपीलान्टस की कोई तामील नहीं करवाई गई। रेस्पोडेन्टस 1 व 2 के खेत के आगे सार्वजनिक जोहड़ खसरा नम्बर 25 है। जिसमें अतिक्रमण कर रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 ने मकानात बना रखे है तथा करीब 2 बीघा राजकीय भूमि खसरा नम्बर 25 पर अतिक्रमण कर अपने खेत में मिलाकर काश्त कर रहे है। सार्वजनिक जोहड़ खसरा नम्बर 25 में ग्रामवासियों के आने जाने के लिए ग्राम मैनाना से आने वाले रास्ता खसरा नम्बर 65 में से एक रास्ता खसरा नम्बर 42 व 43 की सीमा में से होता हुआ खसरा नम्बर 41 में आता है और यह आम रास्ता आगे रेस्पोडेन्ट के खेत खसरा नम्बर 575/573 में से होता हुआ खसरा नम्बर 25 सार्वजनिक जोहड़ में चला जाता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 राजकीय भूमि खसरा नम्बर 25 मे मकानात बनाकर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के खिलाफ न्यायालय तहसीलदार बुहाना ने धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही जरिये मु. नं. 01/2021 व 02/2021 की गई थी जिनका निर्णय दिनांक 15.02. 2021 को किया गया था तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को अतिक्रमी मानते हुये बेदखली का आदेश रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के खिलाफ हुआ है इस प्रकार से रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 आपराधिक किस्म के व्यक्ति है तथा विवादित निर्णय विचारण न्यायालय की आड़ में जबरन अपीलान्टस की भूमि में से रास्ता डालना चाहते है। धारा 251 क राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र में विचारण न्यायालय मौका रिपोर्ट मंगवाई है। उक्त रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते है या नहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है और ना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 में जोहड़ खसरा नम्बर 25 में बसे होने व अतिक्रमण का भी जिक्र नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रास्ता लगता है या नहीं या अन्य कोई रास्ता नहीं है यह कथन भी नहीं लिखा गया है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 25.03.2022 को विचाराधीन आदेश पारित किया गया है। इसके उपरांत अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय अपील प्रस्तुत की गई जो दिनांक 11.04.2022 को दर्ज होकर स्थगन जारी होकर विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

न्यायालय की पत्रावली तलब कर आगामी तिथि 25.05.2022 नियत की गई है। इसके उपरांत भी विचारण न्यायालय ने दिनांक 06.06.2022 को अपीलान्ट को सुने बिना दिनांक 25.03.2022 के निर्णय को रिव्यू कर नवीन आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय की यह कार्यवाही विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलान्ट की सम्यक तामील हुई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की वकालतन उपस्थिति हुई है। अपीलान्ट की ओर से विचारण न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय ने धारा 251 ए विधिक प्रावधानों की पालना में मौका रिपोर्ट प्राप्त की है। मौका रिपोर्ट पर पटवारी हल्का आईएलआर एवं तहसीलदार के हस्ताक्षर है। मौका रिपोर्ट में दो रास्ते प्रस्तावित किये गये है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से धारा 251 ए का आवेदन स्वीकार किया है। मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ता होने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। विचारण न्यायालय ने धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों की पालना कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत 25.03.2022 के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। दिनांक 06.06.2022 के निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट ने कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील प्रभावहीन हो चुकी है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व अपीलान्ट को सूचित किये जाने का साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। मौका रिपोर्ट पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर भी नहीं है। मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते के संदर्भ में कोई अंकन नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 25.03.2022 को विचाराधीन निर्णय पारित करने के पश्चात अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय अपील प्रस्तुत की गई जो दिनांक 11.04.2022 को दर्ज होकर स्थगन जारी होकर विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब कर आगामी तिथि 25.05.2022 नियत की गई है। इसके उपरांत भी विचारण न्यायालय ने दिनांक 06.06.2022 को अपीलान्ट को सुने बिना दिनांक 25.03.2022 के निर्णय को रिव्यू कर नवीन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय की यह कार्यवाही विधि विरूद्ध है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। तब तक उभयपक्ष मौके पर अवस्थित रास्ते के आवागमन को बाधित नहीं करेंगे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.03.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 13/2/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर